आवेदन पत्र पत्र संख्या 158/2020
रामजीलाल बनाम कमला आदि
निर्णय दिनांक :–06–06–2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 158/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00323

रामजीलाल पुत्र रामलाल उर्फ रामूलाल यादव जाति अहीर निवासी सांतौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.......प्रार्थी

– बनाम –

1. कमला पत्नी सुरजभान
2. कैलाश पुत्र चन्दू
3. कृष्ण पुत्र सिंहराज
4. नरेन्द्र पुत्र कर्णसिंह
5. प्रकाशचन्द पुत्र चन्दू
6. प्रमोद पुत्र सुरजभान
7. बुधराम पुत्र मातादीन
8. मिश्री पत्नि सिंहराज
9. रमेश पुत्र सिंहराज
10. लालचन्द पुत्र मातादीन
11. विरेन्द्र पुत्र कर्णसिंह
12. सतपाल पुत्र सिंहराज
13. सन्तरा पत्नि मातादीन
14. सुनिता पत्नि कर्णसिंह
15. सुभाष पुत्र सिंहराज
16. प्रभाता पुत्र जयनारायण
17. रामनिवास पुत्र जयदयाल

(1 से 17 तक:) समस्त जाति अहीर निवासी सांतौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
19. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
20. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
21. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.......अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति –

1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता – [illegible]
2. अनावेदकगण के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:10:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 06–06–2022

आवेदक की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया है कि–

1. यह कि वाके ग्राम सांतौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी ख.न. 660 रकबा 0.49 हैक्टर का खातेदार आवेदक हैं जो अपनी खातेदारी की भूमी पर काबिज हैं एवं कास्त करता हैं काटता लाटता है।

2. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 660 के उत्तर में ख.न. 659 रकबा 0.55 है. स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं. 17 के नाम है एवं वही काबिज है तथा ख.न.658 रकबा 0.44 है. भी आवेदक की भूमि के उत्तर में है तथा ख.न. 658 के उत्तर में ख.न. 648 रकबा 0.49 है. स्थित है जो आम रास्ता कटानी ख.न. 558 तक है ख.न. 648 एवं 658 दोनों ही अनावेदक सं. 1 लगायत 15 के खातेदारी मे है खातेदार जीवणी पत्नि चन्दू की मृत्यु हो चूकी है जिसके वारिसान अनावेदक सं. 2 व 5 के रूप में पहले से खातेदार है तथा ख.न. 659 के उत्तर में ख.न. 647 रकबा 0.55 है. स्थित है जो आम रास्ता ख.न. 558 से सटकर है ख.न. 647 अनावेदक सं. 16 के नाम खातेदारी में है जिस पर वह काबिज है।

3. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 660 रकबा 0.49 है. के लिये कोई रास्ता नही है ना ही कोई वैकल्पिक मार्ग की सुविधा है ख.न. 660 में आम रास्ता ख.न. 558 से ख.न. 647 व 648 तथा ख.न. 659 एवं 658 की सीमा पर से ही जाया जा सकता है जो सबसे सरल एवं सुगम स्थान है लेकिन ख.न. 647, 648, 658, एवं 659 मे से ख.न. 660 तक राजस्व रिकार्ड में कोई कटानी रास्ता नही है आवेदक को अपनी खातेदारी की भूमि ख.न. 660 में फसल कास्त करने ट्रक्टर, ऊंट गाडा आदि लाने ले जाने फसल कास्त करने काटने लाटने के लिये 13 फीट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है जो आवेदक का आवश्यकता का सुखाधिकार है इसलिये आवेदक को ख.न. 647 एवं 659 में से $6\frac{1}{2} + 6\frac{1}{2} = 13$ फीट चौड़ा एवं ख.न. 648 एवं 658 में से $6\frac{1}{2} + 6\frac{1}{2} = 13$फीट चौड़ा अर्थात 4 मीटर चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है रास्ता के बिना आवेदक अपनी भूमि को कास्त नही कर सकेगा ना ही कृषि उपज को काट लाट सकता है इसलिये ख.न. 660 के लिये 13 फीट अर्थात 4 मीटर चौड़ा रास्ता ख.न. 658, 648, 647, एवं 659 की सीमा के ऊपर से दिये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 251 क रा.का.अधि. के प्रावधानों के अनुसार डी.एल.सी. दर की दौगुनी राशी आवेदक भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है आवेकद की ओर से चाहे गये प्रस्तावित रास्ता का नजरी नक्शा संलग्न आवेदन पत्र है जो आवेदन पत्र का भाग रहेगा।

4. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 660 के लिये रास्ता नही होने से आवेदक को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

5. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद आवेदक की खातेदारी की कृषि भूमि ख.न. 660 रकबा 0.49 है. के लिये कोई कटानी रास्ता नही होने व ख.न. 648, 658, 647 व 659 की सीमा के ऊपर से ही सबसे सुगम सरल एवं नजदीकी स्थान होने से आवेदक के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था नही होने से पैदा हुआ है।

6. यह कि अनावेदक सं. 1 व 6 ने अनावेदक सं. 18 से अनावेदक सं. 5 ने अनावेदक सं. 19 से ऋण ले रखा है तथा अनावेदक सं. 20 से अनावेदक सं. 17 ने अपने–अपने हिस्से पर ऋण ले रखा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:10:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तथा अनावेदक सं. 21 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

7. यह कि आवेदक की भूमि व चाहे गये रास्ता की भूमि वाके ग्राम सांतौर के स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

8. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।

9. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाके ग्रामसांतौर स्थित आवेदक की कृषि भूमि ख.न. 660 रकबा 0.49 है के लिये आम रास्ता ख.न. 558 से ख.न. 647 व 648 एवं 659 व 658 की सीमा पर से दोनों तरफ में से $6\frac{1}{2} + 6\frac{1}{2} = 13$ फीट चौड़ा अर्थात 4 मीटर चौड़ाई में ख.न. 558 से 660 तक रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कर उसे राजकीय भूमि दर्ज किये जाकर मौके पर रास्ता सीमाकन एव मापन कर कायम किया जाने का आंदेश अनावेदक सं. 21 को दिया जाने की कृपा करे एवं डी.एल.सी. दर की मुताबिक प्रावधान दोगुनी राशी जमा कर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कृपा करे खातेदारों द्वारा भुगतान नही लिये जाने पर राजकोष में जमा किये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। सभी अनावेदकगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे । बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 200, जमाबंदी सं. 256, जमाबंदी सं. 90, जमबांदी सं. 299, नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर आवेदक को सुना गया मुताबिक मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड आवेदक की भूमि ख.न. 660 के लिये मौके पर कोई रास्ता नही है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था है इसलिए आम रास्ता से ख.न. 660 तक ख.न. 647, 659 की पूर्वी सीमा के सहारे – सहारे तथा 648, 658 की पश्चिमी सीमा के सहारे $6\frac{1}{2} + 6\frac{1}{2} = 13$ चौड़ाई में मुताबिक रिपोर्ट रिकॉर्ड एवं मौका पर रास्ता कायम किये जाने योग्य है।

बहस सुनी गई।

न्यायालय का यह मत है कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 क कास्तकार अपने खातेदारी खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को देखते हुए आवेकगण को रास्ता के प्रस्तुत [illegible] जाना न्यायोचित पाया जाता है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] तहसीलदार बुहाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। [illegible] प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक [illegible] convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यातिक आवश्यकता [illegible]olute Necessity) का मामला पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:10:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। क्षति पुर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है। तहसीलदार बुहाना क्षतिपूर्ती का नियमानुसार आंकलन कर राशि राजकोष में जमा करावे। रास्ते का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की सुविधा की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात हैक्टेयर के डेसिमल तक ही रखा जावे। रास्ते की चौड़ाई रास्ते में दिए गए रकबे के लम्बाई के अनुपातिक तय की जावे। पक्षकारान में सहमति नही बनी। नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित के अनुसार का भुगतान किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

– :: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम सांतौर स्थित भूमि खसरा नम्बर 660 रकबा 0.49 है. में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 647, खसरा नम्बर 648, खसरा नम्बर 659, खसरा नम्बर 658 मे से मुताबिक मौका रिपोर्ट मय नजरी **प्रदर्श– "अ"** के अनुसार भूमि की लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि मुआवजे की राशि निर्धारित उपरोक्त ग्राम की डीएलसी की दुगनी से गणना कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कर अनावेदकगण को वितरण करे। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि कटानी रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में **प्रदर्श– "अ"** के अनुसार अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा सुपुर्द किया जावे। प्रदर्श– **अ** निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ते में आने वाले रकबा रहनुमुक्त रखा जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
(सुनील कुमार चौहान) उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:10:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
(सुनील कुमार चौहान) उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)